भाग – II

(संबन्धी उप वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है।)

प्रस्ताव की राज्य क्रम संख्या .....

7-	परियोजना स्कीम का स्थान	जनपद देहरादून में प्रधाननमंत्री ग्राम सडक योजना के अन्तर्गत पुरकुल गांव से भितरली–किमाड़ी मोटर मार्ग (कुल लम्बाई –10.400 किमी0) के नव निर्माण हेतु 3.528 है0 वन भूमि का वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के तहत् गैर वानिकी कार्यों हेतु पी0एम0जी0एस0वाई0 सिंचाई खण्ड को प्रत्यावर्तन का प्रस्ताव।
(i)	राज्य /संघ शासित क्षेत्र	उत्तराखण्ड राज्य
(ii)	जिला	देहरादून
(iii)	वन प्रभाग	मसूरी वन प्रभाग, मसूरी
(iv)	वनेतर प्रयोग के लिए प्रस्तावित वन भूमि का क्षेत्र (है0 में)	3.528 हैक्टर
(v)	वन की कानूनी स्थिति	0.350 है0 आरक्षित वन भूमि राजपुर कक्ष सं0–7 1.540 है0 आरक्षित वन भूमि रिखोली कक्ष सं0–8 0.455 है0 आरक्षित वन भूमि रिखोली कक्ष सं0–7 0.588 है0 सिविल सोयम भूमि ग्राम–क्यारकुली भट्टा 0.595 है0 सिविल सोयम भूमि ग्राम–भितरली कल्डियाना **3.528 है0**
(vi)	हरियाली का घनत्व	02 से 0.4
(vii)	प्रजातिवार (वैज्ञानिक नाम) और परिधि श्रेणीवार वृक्षों की परिगणना (संलग्न की जाये)। सिंचाई/जलीय परियोजनानाओं के सम्बन्ध में एफ.आर.एल., एफ.आर.एल. –2 मीटर पर परिगणना और एफ.आर.एल.–4 मीटर भी संलग्न किये जाए)	प्रस्तावित पी0एम0जी0एस0वाई0 मोटर मार्ग के निर्माण स्थल /समरेखण में विभिन्न प्रजाति एंव व्यास वर्ग के कुल 316 वृक्ष प्रभावित होने निहित है। जिनमें से (158–आरक्षित वन भूमि, 124– भट्टा इस्टेट की निजी भूमि एंव 34– ग्राम भितरली कल्डियाना निजी/नाप भूमि) में सम्मिलित है। उक्त सभी वाधित वृक्षों की भूमिवार /प्रजातिवार/व्यासवार गणना एंव मूल्यांकन सूची प्रस्ताव प्रस्ताव के पृष्ठ सं0 19 से 31 पर चस्पा है।
(viii)	भूक्षरण के लिए वन क्षेत्र की संवेदनशीलता पर संक्षिप्त टिप्पणी	नहीं। इस बावत प्रस्तावक / पी0एम0जी0एस0वाई0 द्वारा प्रस्ताव के प्रपत्र–33 के पृष्ठ सं0 80 से 81 पर वरिष्ट भू–वैज्ञानिक की आख्या सं0 227/2173/09 चस्पा है।
(ix)	वनेतर प्रयोग के लिए प्रस्तावित स्थल की वन की सीमा से अनुमानित दूरी	प्रस्तावित /चयनित स्थल आरक्षित वन भूमि राजपुर कक्ष सं0–7, रिखोली कक्ष सं0–8, रिखोली कक्ष सं0–7 एंव ग्राम क्यारकुली भट्टा व ग्राम–भितरली कल्डियाना की सिविल सोयम भूमि) की सीमा अर्न्तगत स्थित है।
(x)	क्या फार्म राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभयारण्य, जैवमण्डल रिजर्व, बाघ रिजर्व, हाथी कोरीडोर, आदि का भाग है। (यदि हां, क्षेत्र का ब्यौरा और प्रमुख वन्य जीव वार्डन की टिप्पणियां अनुबंधिति की जाए)	नहीं। इस बावत् वन विभाग द्वारा प्रस्ताव के प्रपत्र–25 के पृष्ठ सं0 65 पर प्रमाण पत्र चस्पा किया गया है।
(xi)	क्या क्षेत्र में वनस्पति और प्राणिजात की दुर्लभ/संकटापन्न/ विशिष्ट प्रजातियां पायी जाती है।यदि हां तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा दें।	——नहीं——
(xii)	क्या कोई सुरक्षित पुरातत्वीय/पारम्परिक स्थल/रक्षा प्रतिष्ठापन और कोई अन्य महत्वपूर्ण स्मारक क्षेत्र में स्थित है। यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा सक्षम प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाणपत्र के साथ, यदि अपेक्षित हो, दें।	नहीं। इस बावत् प्रस्तावक / पी0एम0जी0एस0वाई0, राजस्व विभाग द्वारा प्रस्ताव के प्रपत्र–37 के पृष्ठ सं0 85 पर प्रमाण पत्र चस्पा किया गया है।
8.	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा भाग–1 कालम 2 में प्रस्तावित वन भूमि की आवश्यकता परियोजना के लिए अपरिहार्य और न्यूनतम है यदि नहीं, तो जांचे गये विकल्पों के ब्यौरों के साथ मद–वार संस्तुति क्षेत्र क्या है।	इस बावत प्रस्तावक / पी0एम0जी0एस0वाई0, राजस्व विभाग, द्वारा दिया गया प्रमाण पत्र प्रस्ताव के प्रपत्र–14 के पृष्ठ सं0 49 पर चस्पा है।

Scanned by CamScanner

9.	क्या अधिनियम के उल्लंघन में कोई कार्य किया गया है (हां/नहीं) यदि हां, तो कार्य की अवधि, दोषी अधिकारियों पर की गई कार्रवाई सहित कार्य का ब्यौरा दें क्या उल्लंघन संबंधी कार्य अभी भी चल रहे हैं।	– नहीं–
10.	प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम का ब्यौरा	प्रस्तावित मोटर मार्ग के निर्माण हेतु प्रत्यावर्तित होने वाली वांछित 3.528है0 वन भूमि के बदले दुगने 7.056 है0 सिविल सोयम भूमि क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चकराता वन प्रभाग के कार्यक्षेत्रान्तर्गत मौजा खारसी सिविल सोयम भूमि में चयन किया गया है। इस हेतु क्षतिपूरक वृक्षारोपण का प्राक्कलन एंव मानचित्र प्रस्ताव के प्रपत्र–42 के पृष्ठ सं0 90 से 92 पर चस्पा है।
(i)	प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित वनेतर क्षेत्र/अवक्रमित वन क्षेत्र, आस पास के वन से इसकी दूरी, भू–खण्डों की संख्या, प्रत्येक भू–खण्ड का आकार।	क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चकराता वन प्रभाग के कार्यक्षेत्रान्तर्गत मौजा खारसी सिविल सोयम भूमि में चयन किया गया है। इस हेतु क्षतिपूरक वृक्षारोपण का प्राक्कलन एंव मानचित्र प्रस्ताव के प्रपत्र–42 के पृष्ठ सं0 90 से 92 पर चस्पा है।
(ii)	प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित वनेतर/ अवक्रमित वन क्षेत्र, और आस–पास की वन सीमाओं को दर्शाता मैप।	उक्तानुसार।
(iii)	रोपित की जाने वाली प्रजातियों सहित प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के विवरण कार्यान्वयन एजेंसी, समय अनुसूची लागत ढांचा आदि।	**प्रजातियांः**– जलवायु के अनुरूप मिश्रित प्रजातियां। **कार्यान्वयन एजेन्सीः**– स्वयं वन विभाग। **समयः**– उच्च स्तर से स्वीकृति प्राप्त होने पर। **लागतः**– क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु रू0 19,66,260(रू0 उन्नीस लाख छियासठ हजार दो सौ साठ मात्र)।
(iv)	प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के लिए कुल वित्तीय परिव्यय।	क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु रू0 19,66,260(रू0 उन्नीस लाख छियासठ हजार दो सौ साठ मात्र)।
(v)	प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित क्षेत्र की उपयुक्तता के बारे में और प्रबन्धकीय दृष्टिकोण से सक्षम प्राधिकरण से प्रमाण पत्र (सम्बन्धित उप वन संरक्षक द्वारा हस्ताक्षरित किया जाए)	क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित क्षेत्र की उपयुक्तता संबंधी प्रमाण पत्र प्रस्ताव के प्रपत्र–43 के पृष्ठ सं0 94 पर चस्पा है।
11.	उप वन सरंक्षक की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट विशेषतः उपर्युक्त कालम 7 (xi, xii), 8 और 9 में पूछे गये तथ्यों को दर्शाते हुए (संलग्न करें)	अधीनस्थ वन अधिकारियों, फील्ड स्टाफ, राजस्व विभाग एंव प्रस्तावक / पी0एम0जी0एस0वाई0 की संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट प्रतिहस्ताक्षरित करके प्रपत्र–6 के पृष्ठ सं0 18 पर चस्पा है। वर्णित क्षेत्र का तत्कालीन प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा निरीक्षण दि0 16–07–2016 को किया गया है। जो प्रस्ताव के प्रपत्र–7 के पृष्ठ सं0 32 पर चस्पा है। अधोहस्ताक्षरी द्वारा भी वर्णित क्षेत्र का निरीक्षण दि0 06–08–2018 को किया गया है।

Scanned by CamScanner

12.	विभाग/जिला प्रोफाइल	जिला– देहरादून
(i)	जिले का भौगोलिक क्षेत्र	3088 वर्ग कि0मी0
(ii)	जिले का वन क्षेत्र	2116.92 वर्ग कि0मी0
(iii)	मामलों की संख्या सहित 1980 से वनेतर प्रयोग में लाया गया कुल वन क्षेत्र	कुल मामलों की संख्या 115 है। वनेतर प्रयोग में लाया गया कुल वन क्षेत्र 262.5113 है0 है। इसमें आरक्षित वन क्षेत्र 190.8498 है0 है।
(iv)	1980 से जिला/प्रभाग में निर्धारित कुल प्रतिपूरक वनीकरण (क) दण्ड के रूप में प्रतिपूरक वनीकरण सहित वन भूमि – (ख) वनेतर भूमि पर:–	 (क) 414.678 हैक्टेयर/651.6392 हैक्टेयर (ख) रिक्त
(v)	अब तक प्रतिपूरक वनीकरण में हुई प्रगति (क) वन भूमि पर (ख) वनेतर भूमि पर	 (क) 1– 317.630 है0 /531.38 हैक्टेयर में प्रभाग के अंतर्गत क्षतिपूरक वृक्षारोपण किया जा चुका है। (ख) रिक्त
13.	प्रस्ताव को स्वीकृत करने अथवा प्रस्ताव को अन्यथा लेने के संबंध में उप वन संरक्षक की विशेष सिफारिश	प्रस्तावित निर्माण कार्य प्रश्नगत क्षेत्र की तकनीकी एंव स्थानीय विधि एंव नियमों के परिप्रेक्ष्य में प्रस्तावक विभाग के स्तर पर करवाना होगा। अतः संयुक्त निरीक्षण रिर्पोट एंव प्रस्ताव में विभिन्न स्तरों से प्राप्त प्रमाण पत्रों/दस्तावेजों के अनुसार प्रभाग स्तर से संस्तुति की जाती है।

हस्ताक्षर

दिनांकः 17.5.2019

नामः– (कहकशा नसीम)

स्थानः– मसूरी,

सरकारी मुहर

प्रभागीय वनाधिकारी
मसूरी वन प्रभाग, मसूरी

Scanned by CamScanner